

5969



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



U 068003



We, the Kanpur Development Authority, Kanpur,
 and M/S Tapasya Projects LTD, Through its Director
 Sri Pravin Kumar Arora S/O Sri Dilbagh Rai Arora
 and its Authorised Representative Sri Sheel Srivastava
 S/O Sri Bal Krishan Srivastava R/O 9/3045 Dharampura
 Gali No.2, Gandhi Nagar, New Delhi, have executed
 a Lease deed converted into a free Hold deed dated
 .. 30.7.13 .. on the terms and conditons in
 print and have paid the stamp duty of RS. 1500.00
 by means of these stamp sheets which are attached to
 the document.

deed prepared by

s. d. k.

Goodan

FOR TAPASYA PROJECTS LTD.

Director/Authorisatory



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 068005

We, the Kanpur Development Authority, Kanpur,
and M/S Tapasya Projects LTD, Through its Director
Sri Pravin Kumar Arora S/O Sri DilBagh Rai Arora
and its Authorised Representative Sri Sheel Srivastava
S/O Sri Bal Krishan Srivastav R/O 9/3045 Dharampura
Gali No. 2, Gandhi Nagar, New Delhi, have executed
a Lease deed converted into a free Hold deed dated
.. 30.7.13 .. on the terms and conditions in
print and have paid the stamp duty of Rs. 1500.00
by means of these stamp sheets which are attached to
the document.

deed prepared by

S.P.C.

For TAPASYA PROJECTS LTD.

Director/Auth. Signatory

3416

500/2

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

वम

औद्योगिक/विकास

प्रभारिता गुणा


मार्ग क्र. 2
राज्य विकास विभाग, दिल्ली

[Handwritten Signature]

63D वास्तविकता -

वमस-100/2

18 दिनांक





प्लॉट संख्या 139 ब्लॉक एच (2) योजना संख्या 1 फेवदी एरिया करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है। और चूंकि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के सम्पूर्ण देय लीज रेंट का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद द्वारा स्वीकार करता है।

और चूंकि क्रेता द्वारा भवन/भूखण्ड सम्पत्ति से सम्बद्ध भूमि के कुल-मूल्य रु 81,000/- केवल (शब्देन रु 81 हजार मात्र) के प्रतिशत फी-होल्ड शुल्क रु 9720/- केवल (शब्देन रु 9720/-) का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद द्वारा स्वीकार करता है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29-7-2013 के द्वारा इस प्लॉट को लीज डीड से प्रो होल्ड डीड करने को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

और चूंकि क्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन के कुल निर्धारित मूल्य रु 81,000/- केवल (शब्देन रु 81 हजार मात्र) केवल का भुगतान भी विक्रेता को कर दिया गया है अतः विक्रेता से क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन संख्या 139 ब्लॉक संख्या एच योजना संख्या 1 फेवदी एरिया स्थित मोहल्ला 3-24 एरर पर आगे अभिव्यक्त शर्तों के अधीन अप्रतरीय/मुय/अप्रतरीय/प्रतिरञ्जक/अप्रतरीय प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व देना (फी-होल्ड करना) स्वीकार कर लिया है।


अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधि. 1973 के अधीन निम्नादित यह विलेख सूची है कि इस विलेख अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति क्रेता के पक्ष में फी-होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फी-होल्ड शुल्क सहित भूखण्ड/भवन के सम्पूर्ण मूल्य के किये गए भुगतान के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों, जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद द्वारा यह सब सम्पत्ति उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और स्पष्टीकरण हेतु

क्रमशः 3

Signature

For TAPASYA PROJECTS LTD.

Signature
Director / Authorized Signatory



(3)
भूखण्ड/सूची के अन्तर्गत एक योजना के अन्तर्गत। पैवटो परिया
जिसका ब्यापक स्थान इस विलेख के साथ संलग्न है फ्री-होल्ड घोषित करते हैं और उस
पर केता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और केता, उसके दाय्याधिकारी और समनुदेशिती
सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन दिनांक ~~20/11/13~~ से इसकी अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति
पर केता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और तदनुसार केता उस भूखण्ड/भवन का
प्रभावी विधी, नियमों एवं विनियमों के अधीन रहते हुए अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने अथवा
हस्तांतरण करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये
जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों वीर उस पर भविष्य में लगाये जाने
वाले करों का भुगतान केता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई विवाद,
मतभेद अथवा प्रश्न दोनो पक्षों या उसके दावेदारों के बीच उठ खड़ा होता है तो वह निर्णय
हेतु प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा और इस
विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यदि किसी समय/अवसर पर यह पाया जाता है कि केता के किसी तथ्य को
छिपाकर अथवा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा त्रुटि पूर्ण प्रस्तुतिकरण अथवा धोखधड़ी के
आधार पर सह विलेख निष्पादित किया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प (आपन)
पर निष्प्रभावी/शून्य हो जायेगा। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की यह विलेख निरस्त करने
तथा केता द्वारा भूमि/भवन कय किये जाने हेतु प्राधिकरण में किये गये भुगतान की
भनराशि जन्त करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
एवं केता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का
विवाद नहीं उठाया जायेगा।

यद्यपि आवंटित भूमि विधिवत अर्जित की गई और अर्जित भूमि का मुआवजा भी दिया

क्रमशः 4




For TAPASYA PROJECTS LTD.
Director / Auth. Signatory




भूखण्ड संख्या 139 ब्लॉक एच (4) योजना संख्या 1 पंचवटी एरिया
 जा चुका है, फिर भी यदि पूर्व भूस्वामी द्वारा विधि अर्जित भूमि से सम्बन्धित कोई
 सन्दर्भ/अपील/ समादेश याचिका/विशेष याचिका दायर की गई और किसी भी न्यायलय
 द्वारा दिये गये निर्णय के परिणाम स्वरूप भुआवजा राशि (प्रतिकर), तोषण (सोलेसियम) एवं
 इस मद में ब्याज आदि को कोई वृद्धि का आदेश दिया गया हो तो उसके भुगतान का
 दायित्व स्वतः क्रेता का होगा तथा इसके भुगतान धारित भूमि के क्षेत्रफल भू-विन्यास
 ले-आउट प्लान के अनुपातिक आधार पर करने हेतु बाध्य है। उर्पयुक्त परिस्थितियों में
 विक्रेता द्वारा एतदर्थ धनराशि का भुगतान माँग पत्र कर प्राप्त के 3 माह की अवधि में कर
 देगा। यदि उक्त धनराशि क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में अदा नहीं की जाती तो विक्रेता
 को अधिकार होगा कि यह याचित धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल कर ले।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ व्यय होगा, क्रेता वहन
 करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द 'विक्रेता' और 'क्रेता' के
 सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगो-में असंगत न हो 'विक्रेता' में
 उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा 'क्रेता' में उसके दायधिकारियों,
 निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत
 अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं। जो उसके हस्ताक्षर के नीचे लिखी
 हैं।

| भूखण्ड संख्या 139 | एच | योजना |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| इनके अधिदित अनुसूची | ब्लॉक संख्या | पंचवटी एरिया |
| पंचवटी एरिया | स्थित मोहल्ला | |
| कुल रकबा 3-24 एकड़ | जिसकी | धीहददी निम्न प्रकार है। |
| पूरब : 80 अ 80 रेल्से साइडिंग | | 80 अ 80 रेल्से साइडिंग |
| पश्चिम : 80 फुट चौड़ी सड़क | | ऊसरो |
| उत्तर : 80 फुट चौड़ी सड़क | | साठ |
| दक्षिण For TABASTA PROJECTS LTD. | | एक साठ अ तोस |
| क्रेता के हस्ताक्षर | | प्राधिकरण की ओर से |
| द्वारा प्राधिकृत | | |
| साक्षी (1) श्री. स. क. शर्मा | द्वारा | साक्षी (1) S. K. Sharma |
| साक्षी (2) श्री. राजेश कुमार | अर्थात् | साक्षी (2) राजेश |
| नि. 9/3045 धर्मपुरा गल्लो नं. 2 | | |
| मो. 81 नंबर, नई दिल्ली | | |



आज दिनांक 30/7/13 को फोटो स्टड प्राप्त
पुस्तक संख्या 8 खण्ड 7683
के पुस्त संख्या 391/406 पर
पर क्रम संख्या 5969 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

19
उप निरीक्षक IV
कानपुर नगर
30/7/13

